न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 10/2023
दायर दिनांक :– 12.01.2023

अनवान

1. रामपाल पिता कन्हैयालाल ब्राहमण नि. कुचलवाडा कलॉ तहसील जहाजपुर
2. नित्यानन्द पिता कन्हैयालाल ब्राहमण नि. कुचलवाडा कलॉ तहसील जहाजपुर

प्रार्थीगण..............

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री अतुल जोशी, एडवोकेट प्रार्थीगण

:: आदेश :: दिनांक 19.04.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का ऊँचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 193 की आराजी नम्बर 467 रकबा 0.8579 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 467/1696 रकबा 0-2347 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 467/1697 रकबा 0-3480 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 467/1698 रकबा 0-6070 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 467/1699 रकबा 0-4613 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 467/1700 रकबा 0-2428 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 467/1701 रकबा 0-0971 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 467/1702 रकबा 0-5261 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 468 रकबा 0- 0162 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 469 रकबा 0-0728 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 3-4639 हैक्टेयर कृषि आराजी स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में हम प्रार्थीगण के खाते में दर्ज होकर हम प्रार्थीगण के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। यह है कि हम प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त कृषि आराजीयात 467/1696, 467/1697, 467/1698, 467/1699, 467/1700, 467 / 1701, 467 / 1702, 468, 469 में आने जाने का एक मात्र रास्ता नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शायें कच्चे रास्ते से आराजी खसरा नम्बर 473 में से होकर प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजीयात में पहुचता है। प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग व उपभोग कई वर्षो से निरन्तर व निर्बाध रूप से कर रहे है। मोके पर रास्ता 30 फीट चौड़ा है। यह है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजीयात में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 473 बिलानाम में से होकर आने जाने वाला रास्ता एक मात्र रास्ता है इस रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यातिक आवश्यकता है।

जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

यह केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजी में आने जाने कृषि उपकरण ले जाने के लिये आराजी नम्बर 473 बिलानाम में से होकर जाने वाले रास्ते के अलावा दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 473 (बिलानाम) के खातेदार राजस्थान सरकार के नाम पर दर्ज होकर किस्म पड़त है। प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त कृषि आराजीयात में आने जाने के लिए आराजी नं. 473 बिलानाम में से 30 फीट चौडा रास्ता की आत्यांकित आवश्यकता हैं। जिसमें से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी से रेकॉडेड कच्चे रास्ते तक पहुच सकेगा। उक्त रास्ते के लिए जो भी हर्जा खर्चा है वो प्रार्थीगण भुगतने को तैयार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करमाकर आराजी नम्बर 473 में से 30 फीट चौडा रास्ता देने व उक्त रास्ते की भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज करवाने का अप्रार्थी को आदेश प्रदान करावें ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थीगण की आराजी न. 467/1696, 467/1697, 467/1698, 467/1699, 467/1700, 467 / 1701, 467 / 1702, 468, 469 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 06.02.2023 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 473 में से रास्ता देने पर 0.1457 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण की जोत आ.न. 467/1696, 467/1697, 467/1698, 467/1699, 467/1700, 467 / 1701, 467 / 1702, 468, 469में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। खसरा नं. 473 सरकारी होने के कारण कुछ व्यक्ति रास्ता अवरूद्व कर देते हैं, जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु उक्त रास्ता को दर्ज रिकोर्ड करवाने की आंत्यातिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 467/1696, 467/1697, 467/1698, 467/1699, 467/1700, 467 / 1701, 467 / 1702, 468, 469 में आने जाने हेतु ख. न. 473 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 467/1696, 467/1697, 467/1698, 467/1699,

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

467/1700, 467 / 1701, 467 / 1702, 468, 469 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकोर्ड नही है। एवं प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी सं. 473 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण की आ.न. 467/1696, 467/1697, 467/1698, 467/1699, 467/1700, 467 / 1701, 467 / 1702, 468, 469 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण के आराजी खसरा नं. 467 / 1702 के सामने से होकर 467 / 1699 तक रास्ता प्रस्तावित किया गया है। परन्तु प्रार्थीगण की उक्त संपूर्ण खसरा नंबर एक दूसरे से सटे होकर एक साथ स्थित है, अतः किसी भी एक नजदीकतम खसरे हेतु ही रास्ता दिया जाना उचित है। अतः न्यायालय प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 467 / 1702 तक ही रास्ता देना उचित समझता है। जिसमें रकबा 0.146 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का ऊँचा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 467 / 1702 में आने जाने के लिये संलग्न ट्रेस में मार्क बिंदु ए से बी तक आ. न. 473 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 473 में से रास्ता देने पर कुल 0.146 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 473 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.146 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 4,67,986 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा / अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक/रीडर/23/मु.न. 10/2023 दिनांक 18.04.2023

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 10/23 अनवान रामपाल पिता कन्हैयालाल ब्राहमण, नित्यानन्द पिता कन्हैयालाल ब्राहमण नि. कुचलवाडा कलॉ बनाम तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा में रास्ता तरमीम करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम हनुमान नगर पटवार हल्का ऊँचा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 467 / 1702 में आने जाने के लिये संलग्न ट्रेस में मार्क बिंदु ए से बी तक आ. न. 473 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 473 में से रास्ता देने पर कुल 0.146 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 473 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.146 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 4,67,986 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाडा)

C : Tahsildar/km/RASTA 251 LETTER SS

Scanned with CamScanner